इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—पौष 7, शक 1937

### परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-22-13-15-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज), धारा 72 की उपधारा (2) तथा धारा 96 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 111 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन करने के पश्चात, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में.--

- 1. नियम 17 में, उपनियम (1) में, खण्ड (सत्रह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
  - ''(अठारह) अपने नेत्रों की वर्ष में एक बार नियम 6 के उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी से जांच करवायेगा तथा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने साथ रखेगा कि वह किसी नेत्र रोगी या रतौंधी से ग्रस्त नहीं है तथा यदि वह नेत्र की किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित किए गए चश्में की सहायता से उपचार कर दिया गया है, और वह लाल तथा हरे रंग में अंतर करने में सक्षम है तथा दिन की रोशनी में 25 मीटर की दूरी से वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम है.''.
- 2. नियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—
  - ''20क. महिला आवेदकों को शुल्क से छूट.—चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाली महिला आवेदकों से कोई शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा.''.

#### 3. नियम 77 में,—

- (एक) उप नियम (1) में, खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
  - ''(चार) मंजिली गाड़ी का अनुजा पत्र धारक वर्ष में एक बार नियम 6 में निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी से अपने वाहन चालक के नेत्रों की जांच करवाएगा तथा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाण पत्र को अपने साथ रखेगा कि वह किसी नेत्र रोग या रतौंधी से ग्रस्त नहीं है तथा यदि वह नेत्र की किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित किए गए चश्में की सहायता से उपचार कर दिया गया है और वह लाल तथा हरे रंग के अंतर करने में सक्षम है तथा दिन की रोशनी में 25 मीटर की दूरी से वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम है.''.
- (दो) उप नियम (1-क) में, खण्ड (दो) का लोप किया जाए.
- (तीन) उप नियम (1-क) में, खण्ड (तीन) में, अंक और शब्द ''20 वर्ष'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''15 वर्ष'' स्थापित किए जाएं.
- (चार) उपनियम (1-क) के खण्ड (चार) में, अंक और शब्द ''150 किलोमीटर या उससे अधिक'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''75 किलोमीटर से अधिक'' स्थापित किए जाएं.
- (पांच) उप नियम 1-ख के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
  - ''(1ख) उप नियम (1क) द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जहां तक कि उनका संबंध उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व रिजस्ट्रीकृत मंजिली गाडियों से है. उनके संबंध में लागू नहीं होंगे.''.
- 4. नियम 116 में, उप नियम (1 क) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
  - ''(1-क) चालक को छोड़कर 7 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाली मंजिली गाड़ी सेवा यान को ''ग्रामीण सेवा यान'' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वे नियम 116-क के खण्ड (दो) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ''ग्रामीण मार्गों'' पर ही चलेंगे. ऐसे यान पर वायुरोधी शीशे (विंडस्क्रीन) के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर केशिरया रंग से रंगी गई पट्टी पर नीले रंग से ''ग्रामीण सेवा यान'' लिखा जाएगा. पट्टी की चौड़ाई 10 से. मी. और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 से. मी. होगा और वे इस प्रकार होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ-साफ पढ़े जा सकते हों.''.
- 5. नियम 116-क में, उप नियम (1) में, खण्ड (दो) में, शब्द और अंक ''25 प्रतिशत से अधिक अथवा 15 किलोमीटर से अधिक इनमें से जो भी कम हो'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''10 किलोमीटर से अधिक'' स्थापित किए जाएं.
- 6. नियम 116-क में, उप नियम (2) का लोप किया जाए.
- 7. नियम 116-क में, उप नियम (3) में, अंक तथा शब्द ''22 से कम'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''7+1 से अनिधक'' स्थापित किए जाएं.
- 8. नियम 164 में, उप नियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
  - ''परन्तु उक्त उपबंध किसी ऐसी मोटर कैब तथा यान को लागू नहीं होंगे, जिन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन ऑल इंडिया टूरिस्ट परिमट जारी किया गया हो.''.

- 9. नियम 164 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- "केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अधीन डिजाइन किए गए और निर्मित यानों को छोड़कर प्रत्येक लोक सेवा यान, प्रायवेट सेवा यान, ठेका गाड़ी और शिक्षण संस्थाओं के यानों में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 128 के उप नियम (4) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार न्यूनतम 50×90 से. मी. के आकार का आपातकालीन दरवाजा लगाया जायेगा. जो यान के दाहिनी और होगा:

परन्तु उप नियम (1क) द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जहां तक कि उनका संबंध उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व रिजस्ट्रीकृत मंजिली गाडियों से है, उनके संबंध में लागू नहीं होंगे.''

No. F-22-13-2015-VIII.—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (h) of sub-section (2) of Section 28, sub-section (2) of Section 72, sub-section (1) and (2) of Section 96 and sub section (1) and (2) of Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,—

- 1. In rule 17, in sub-rule (1), after clause (xvii), the following clause shall be added, namely:
  - "(xviii) shall cause his eyes examined once in a year by a medical practitioner as per the provisions of rule 6 and shall keep with him the certificate issued by the medical practitioner to this effect that he is not suffering from any eye disease, or night blindness and if he is suffering from any eye disease, the same has been cured with the help of spectacle as prescribed by the medical practitioner and he is able to differentiate between red and green colours and to read the number plate of a vehicle from 25 metre distance in a day light."
  - 2. After rule 20 the following rule shall be added, namely:—
  - "20-A. Exemption of fee for women applicants.—"No fees shall be levied from the female applicants, applying first time for driving licence,",
  - 3. in rule 77,—
    - (i) in sub-rule (1), after clause (iii), the following clause shall be added namely:
      - that the permit holder of the state carriage shall cause his driver's eyes examined once in a year by a medical practitioner referred to in rule 6, and shall keep with him the certificate issued by the medical practitioner to this effect that he is not suffering from any eye disease or night blindness and if he is suffering from any eye disease, the same has been cured with the help of spectacle as prescribed by the medical practitioner and he is able to differentiate between red and green colours and to read the number plate of a vehicle from 25 metre distance in a day light."
  - (ii) in sub-rule (1a), cluase (ii) shall be omitted;
  - (iii) in sub-rule (1a), in clause (iii), for the figure and word "20 years", the figure and word "15 years"

shall be substituted;

- (iv) in sub-rule (1a), in clause (iv), for the figure ans words "150 kms or above", the words and figure "more than 75 kms" shall be substituted;
- (v) for sub-rule (1b), the following sub-rule shall be substituted namely:—
  - "(1b) the restriction imposed by sub-rule (1a), in so for as they relates to the stage carriage registered before coming into force of the said rules shall not apply.".
- 4. In rule 116, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(1A) the stage carriage service vehicle having seating capacity of 7 persons excluding driver shall apply classified as "Rural Service Vehicle" and shall apply exclusively on "Rural Routs" as specified under clause (ii) of rule 116A. Rural Service Vehicle shall be painted in blue colour on a saffron strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The Size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and it shall be such that it is clearly legible from 25 metres."
- 5. In rule 116 A, in sub-rule (1), in clause (ii), for the words and figures "exceeding 25 percent or exceeding 15 kms whichever is less" the words and figure "exceeding 10 kms" shall be substituted.
- 6. In rule 116 A sub-rule (2) shall be omitted.
- 7. In rule 116 A, in sub-rule (3), for the words and figure "less than 22" the words and figures "not more than 7+1" shall be substituted.
- 8. In rule 164, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the said provision shall not apply to such motor cab and vehicle which have been issued All India Tourist Permit under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.".

- 9. In rule 164, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(2) Every Public Service Vehicles, Private Service Vehicle, Contract Carriage and Vehicles of Educational Institutions except the vehicles designed and manufactured under rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, shall have an emergency door on right side of the vehicle with a size of minimum 59x90 cm as required under sub-rule (4) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989:

Provided that the restriction imposed by sub-rule (1a), in so far as, they relates to the stage carriage registered before coming into force of the said rules shall not apply.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव.